GCMS No. 2024/76

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8/10/24	पेश। फोन 211.00 फोन आया। अग्र वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य सम्पादित रखने से पत्रावली बाद आगामी मुकाम प्रार्थना पत्र अंकित दिनांक 12/11/24 को पेश हो।
12/11/24	पत्रावली पेश हुई वकु. उप. वकील वादी ने Reg AD की रसीद व Track Report पेश की। Track Report से प्रति. सं. 1, 2, 3, 4, 7, 13 का Item delivered Confirmed अंकित है। एक तामिल की रसीद व सम्मन तामिल माना गया है। प्रति. सं. 14 का सम्मन एक तामिल प्राप्त हुआ है। वकील की सुरेश पांथी, डोवराम पांथी, गोविन्द पांथी व मुकेश कोली ने प्रति. सं. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, की ओर से वकालतनामा पेश किया शामिल है। वकील वादी प्रति. की तरफ से तलवाना, का. मुकाम प्रार्थना पत्र व वकील प्रति. पक्ष द्वारा पेश, की पत्रावली अंकित दिनांक 14/1/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण, जिला-ब्यावर
03/12/24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली तलब की गई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना बाबत पत्रावली तलब करने बाबत कम पैसा का निवेदन किया है कि वादिगण हालात प्रकरण के प्रति विरोध स्थगित कराना चाहते हैं अतः

Mukesh Nath
adv.
03/12/2024

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

CMS No. 2054/76

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

पंचायती तलब की सुनवाई किये जाने का निवेदन किया है तथा पंचायती तलब की गयी

वकील वादी ने अभिवचन वादपत्र परिसीमा विधान के अनुसार वाद का पेश करना कथन किया है कि हस्तगत वाद के वादिगण व प्रतिवादिगण के बीच आपसी समझौता से समाप्त हो गया है तथा वादिगण एक प्रकार के अब चलाना नहीं चाहते हैं अतः वादपत्र को परिसीमा विधान के कारण का निवेदन किया है

पंचायती मध्य हस्तगत अभिवचन का अवलोकन किया गया वकील वादी की दलील पर मनन किया गया चूंकि वकील वादी हस्तगत वाद को आगे चलाना नहीं चाहते व परिसीमा खारिज का निवेदन किया है अतः हस्तगत वाद अंतर्गत धारा 53,94 सि. प्र. परिसीमा खारिज किया जाता है। पंचायती फैसला अनुसार होकर नम्बर के बाद तकमील पश्चात अभिलेख दफ्तर लेखक। अग्रसर किया जावे

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण